न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा (५)

पीठासीन अधिकारी 'शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 09/2018 अपील

उनवान

श्री श्यामलाल पिता मांगू बलाई निवासी विश्नोई मोहल्ला पंचायत नोहरे के पास, वार्ड नं0 2 पुर तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज0)

बनाम

1.श्रीमती देउबाई पत्नि कालूराम हरिजन निवासी सूरज नगर, हरिजन बस्ती, पुर।
2.श्री जगदीश पिता मांगू बलाई निवासी विश्नोई मोहल्ला, पंचायती नोहरे के पास वार्ड नं0 2 ग्राम पुर
3.श्री राजेन्द्र पिता भैरूलाल खोईवाल निवासी पुर
4.श्रीमती सीतादेवी पत्नि गणेशलाल जीनगर निवासी आजाद नगर भीलवाड़ा
5.श्रीमती चांदी पत्नि हीरा भाम्बी निवासी गठिला खेड़ा तहसील भीलवाड़ा
6.श्रीमती नन्दू पत्नि मांगू बलाई निवासी विश्नोई मोहल्ला, पंचायती नोहरे के पास, ग्राम पुर
7.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा, जिला–भीलवाडा (राज0)

—— अपीलार्थी

——प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा75 रा0भू0रा0अधिनियम 1956 विरूद्ध तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश ना0सं0 3942 ग्राम पुर दिनांक17.04.2004

उपस्थित :– श्री मेहराज अली अधि0 अपीलार्थी की ओर से
श्री के०सी०काष्ट अधि0 प्रत्यर्थी सं0 5
श्री अमित कोठारी प्रत्यर्थी सं0 4
श्री कुन्दनलाल शर्मा प्रत्यर्थी सं0 2
श्री विपुल बापना, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 27/06/2018

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0भू0रा0 अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार भीलवाड़ा नामान्तरकरण संख्या 3942 ग्राम पुर निर्णय दिनांक 17.04.2004 के खिलाफ दिनांक 19.02.2018 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम पुर में स्थित आ0नं0 5661 रकबा 2.13 बीघा किस्म बंजड़ व आ0नं0 5666 रकबा 4 बिस्वा किस्म गेमु0 आचा कुल कीता 02 कुल रकबा 2.17 बीघा भूमि में 1/3 हिस्सा मांगी लाल पिता कालूलाल का अन्य सह खातेदारान के साथ निहीत था। मांगू फौत हो गया है जिसके वैध वारिसान अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 06 है। अधीनस्थ न्यायालय ने विक्रयपत्र दिनांक 16.02.2004 से नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 देउ पत्नि कालूराम हरिजन के नाम

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

(5)

पर खोला है। विक्रयपत्र दिनांक 16.02.2004 रेस्पोडेन्ट संख्या 06 के द्वारा निष्पादित किया जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 02 जगदीश एवं अपीलार्थी श्यामलाल को नाबालिग दर्शा रखा है और यह वाक्य टंकित करवाया गया है और शेष विक्रयपत्र कम्प्यूटर द्वारा प्रिन्ट है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2057 से 60 के अनुसार अपीलार्थी नाबालिग था और रेस्पोडेन्ट संख्या 02 बालिग है इस प्रकार उक्त विक्रयपत्र पूर्णतया विधिसम्मत नहीं है एवं दोषपूर्ण है फिर भी रेस्पोडेन्ट संख्या 07 व उनके अधीनस्थ कर्मचारी पटवारी व एल0आर0 ने मिलीभगत करके तथाकथित नामान्तरकरण खोला है जो विधिसम्मत नहीं होने से काबिल निरस्तनीय है। कानूनन नाबालिग की सम्पत्ति का बेचान न्यायालय की अनुज्ञा से नहीं कर सकता है न ही उसकी ओर से कोई सम्पत्ति का बेचान ही कर सकता है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने तथाकथित abinitio nul and void विक्रयपत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम पर कुलिया आराजी में 1/3 हिस्से का नामान्तरकरण खोल कर विधि विरूद्ध कार्य किया है जो काबिल निरस्तनीय है। अपीलार्थी को राजस्व रेकार्ड में गलत अंकन हो जाने की जानकारी जब उसने वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी दिनांक 29.01.2018 को प्राप्त की एवं विक्रय के आधार पर किए गए नामान्तरकरण संख्या 3942 की प्रति दिनांक 12.02.2018 को प्राप्त की तब इसकी जानकारी हुई। जानकारी होते ही यह अपील अन्दर अवधि पेश की जा रही है। मियाद को कण्डोन करने के लिए अलग से दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर रेस्पोडेन्ट द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 3942 निर्णय दिनांक 17.04.2004 पर पारित आदेश निरस्त फरमाया जावे एवं उक्त नामान्तरकरण के पश्चातवर्ती खोले नामान्तरकरण को भी निरस्त फरमाया जावे और अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में पुनः दर्ज किया जाने का आदेश तहसीलदार भीलवाड़ा को दिया जावे।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 05.03.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किये गये तथा अपीलाधीन आदेश सम्बधी रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 व 6 बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध दिनांक 03.04.2018 को एक तरफा आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 04 के पक्ष में पुनः दिनांक 20.06.2018 को एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के पक्ष में पुनः दो तरफा दिनांक 26.06.2018 को करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 03, 04, 05 का जवाब दिनांक 26.06.2018 को बन्द करते हुए बहस सुनी गई। अपील मेमों के साथ ग्राम पुर के नामान्तरकरण संख्या 3942 की प्रमाणित फोटो प्रति, विक्रयपत्र दिनांक 16.02.2004 की फोटो प्रति, ग्राम पुर की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2057 से 60, 2061 से 2064 , 2065 से 2068, 2069 से 2072 की जमाबन्दियां प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय से रिकार्ड/रिपोर्ट प्राप्त होने पर दिनांक 26/06/2018 को वकील अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2,4 व 5 तथा राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई बहस में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपील को स्वीकार किए जाने अथवा रिमाण्ड किए जाने का निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 , 4 व 5 ने निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

संख्या 6 के द्वारा विधिवत भूमि का सप्रतिफल प्राप्त कर विक्रय किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 6 रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की विधिक वारिस होने से उसे भूमि विक्रय के पूर्ण अधिकार है। उक्त विक्रयपत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विधिसम्मत नामान्तरकरण संख्या 3942 दर्ज करते हुए खाता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम पर दर्ज करने का आदेश दिया वह उचित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के द्वारा अपने हिस्से में से रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को व 5 को विक्रय कर दिया जिससे खाता उनके नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। अपील एक फिसकल प्रोसीडिंग है जिसक माध्यम से अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी को विधिवत विक्रयपत्र को सक्षम न्यायालय से निरस्त कराने की कार्यवाही नहीं कर यह अपील प्रस्तुत की जो खारिज योग्य है। अतः निवेदन है कि अपील खारिज फरमाईजावे। प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

सर्व प्रथम अपील मेमो के साथ प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दफा 5 कानूनी मियाद पर विचार किया जाकर मियाद के बिन्दु पर विचार किया जा रहा हैं। प्रार्थी ने अपने आवेदन में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाड़ा के आदेश के सम्बन्ध में तहसील से राजस्व रिकॉर्ड की नकलें दिनांक 12.02.2018 को प्राप्त करने पर जानकारी हुई उसी दिन आवेदन प्रस्तुत कर नकलें प्राप्त की गई। अपीलान्ट ने दिनांक 12.02.2018 को आदेश व रिकॉर्ड की प्रतियां प्राप्त कर दिनांक 19.02.2018 को अपील प्रस्तुत की गई। प्रत्यर्थी की ओर से प्रार्थी के प्रार्थनापत्र के खण्डन में किसी प्रकार का जवाब अथवा प्रतिशपथपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थनापत्र व उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र पर अविश्वास करने का कारण न्यायालय के समक्ष नही हैं। सामान्य न्याय सिद्धान्तो को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दफा 5 कानून मियाद प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

अब अपील मेमो के गुणावगुणों पर विचार किया जा रहा हैं। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील मेमो में विवाद का विषय यह रहा कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाड़ा के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 06 श्रीमती नन्दू पत्नि मांगू बलाई के पंजीबद्ध विक्रयपत्र दिनांक 16.02.2004 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 3942 दिनांक 17.04.2004 के आधार पर ग्राम पुर की आराजी नम्बर 5661 व 5666 में से 1/3 हिस्सा जो श्रीमती नन्दू बेवा मांगू ने अपने हिस्से के साथ में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के हिस्से को भी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को विक्रय कर दिया और इस विक्रय पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना जांच किए खाता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम रदोबदल किए जाने का नामान्तरकरण निर्णित करने में भूल की है। पत्रावली में प्रस्तुत विक्रयपत्र दिनांक 16.02.2004 की सम्पूर्ण इबारत कम्प्यूटराईज है परन्तु उक्त विक्रयपत्र में प्रथम पंक्ति टाईप से लिखी गई जिसमें लिखा है कि श्री जगदीश, श्यामलाल पिता मांगू नाबालिग बविलायत माता श्रीमती नन्दू एवं स्वयं इसके पश्चात कम्प्यूटराईज श्री नन्दु बेवा मांगू बलाई निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा अंकित है। जबकि नकल जमाबन्दी सम्वत् 2057 से 60

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

में अपीलान्ट नाबालिग है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 जगदीश बालिग था जिसके उक्त विक्रयपत्र पर कोई हस्ताक्षर नहीं है इसके बावजूद रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के हिस्से को तथा अपीलान्ट जो कि नाबालिग है जिसके हिस्से के विक्रय हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 06 जो कि इनकी माता है के द्वारा सक्षम न्यायालय से स्वीकृति आवश्यक है जैसाकि हिन्दू अप्राप्तवयता औ रसंरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा 8 उपधारा 1, 2 व 3 के अनुसार सक्षम स्वीकृति आवश्यक है। धारा 8 की उपधारा 1 में स्पष्ट उल्लेखित है कि किसी भी हिन्दु अप्राप्तवय का नैसर्गिक संरक्षक उनसब कार्यों को करने की शक्ति रखता है जो उस अप्राप्तवय के फायदे के लिये या उस अप्राप्तवय की सम्पदा के आपन, संरक्षण या फायदे के लिये आवश्यक या युक्तियुक्त और उचित हो किन्तु संरक्षक किसी भी दशा में अप्राप्तवय के वैयक्तिक प्रसंविदा के द्वारा आबद्ध नहीं कर सकता है इसके अतिरिक्त उपधारा २ क में स्पष्ट किया है कि नैसर्गिक संरक्षक न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना न तो अप्राप्तवय की स्थावन सम्पत्ति के किसी भी भाग को बन्धक या भारित अथवा विक्रय , दान या विनिमय द्वारा या अन्यथा अन्तरित करेगा। स्वयं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाड़ा के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 3942 के कॉलम सं0 7 में प्रविष्टि की उसमें भी स्पष्ट लिखा है कि अपीलान्ट नाबालिग है तथा रेस्पोडेन्ट जगदीश बालिग होकर इनका रेस्पोडेन्ट संख्या 06 के साथ 1/3 संयुक्त खातेदारी से दर्ज है इसके बावजूद भी दिनांक 16.02.2004 के विक्रयपत्र के आधार पर बिना जांच किए नामान्तरकरण निर्णित किए जाने में निश्चित तौर पर विधिविरूद्ध निर्णय दिया है जो खारिज योग्य है। उक्त विक्रयपत्र प्रारम्भ से ही दोषपूर्ण होने से इसे निरस्त कराने की आवश्यकता नहीं है। अतः उक्त विक्रयपत्र दिनांक 16.02.2004 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 3942 दिनांक 17.04.2004 को निर्णित किया है वह निरस्त योग्य होने से इसके आगे के समस्त विक्रय स्वतः शून्य हो जाते हैं। अतएव–

आदेश

उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0भू0रा0 अधिनियम 1956 को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाड़ा के नामान्तरकरण संख्या 3942 ग्राम पुर निर्णय दिनांक 17.04.2004 को निरस्त किया जाता है तथा उक्त नामान्तरकरण के पश्चात हुए समस्त हस्तान्तरण निश्प्रभावी मानते हुए अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 06 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम पुर की आराजी नम्बर 5661 रकबा 2.13 बीघा किस्म बंजड़ व आ0नं0 5666 रकबा 4 बिस्वा किस्म गेमु0 आचा कुल कीता 02 कुल रकबा 2.17 बीघा भूमि में 1/3 हिस्सा पूर्ववत दर्ज किए जावें।

आदेश आज दिनांक 27/06/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
भीलवाडा